न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/256

रामनाथ पुत्र मोडू जाति कीर निवासी दुगारी तहसील नैनवा जिला बूंदी राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी राजस्थान

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.10.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 64/2023(gcms no. 2023/100) में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज० का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की संयुक्त कृषि आराजी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज० में स्थित है, जिसका खाता संख्या नया 667 पुराना 622 के खसरा नम्बर–1245 रकबा 1.6665 है०, खसरा नम्बर–1247 रकबा 1.8850 है० कुल दो किता की 3.5515 हैक्टयर पटवार हल्का दुगारी भू०अभिलेख निरीक्षक बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या–1247 में आने–जाने के लिए कोई रास्ता विध्यमान नही है, प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी व कृषि उपज को लाने–ले जाने में काफी असुविधाए होती है। अपने खेत की हंकाई जुताई के लिए ट्रेक्टर खेत पर नही जा सकता, पडौसी काश्तकारो से आये दिन लडाई–झगडे होते है। पडौसी काश्तकार सरकारी जमीन पर से

प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने नहीं देते हैं। पडौसी कृषको द्वारा जानबूझकर प्रार्थी के कृषि कार्य में आने–जाने के लिए व्यवधान उत्पन्न करते है। राजकीय सिवाय चक भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किये हुऐ है। सरकारी जमीन पर जबरदस्ती फसल की बुवाई कर देते है। जबकि राजकीय सिवाय चक भूमि पर किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नही है। आने–जाने के लिए कोई रास्ता न होने की स्थिति में प्रार्थी को अपने कृषि कार्य व कृषि उपज को लाने ले जाने के लिए भी पडौसी काश्तकार द्वारा सरकारी भूमि पर रोके जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। खसरा संख्या–1242 व 1243 राजकीय बंजड भूमि है, जिसके पास ही प्रार्थी की खाते की कृषि आराजी है। उक्त सरकारी भूमि से ही प्रार्थी अपने खेत पर आ–जा रहा है, परन्तु सिवायचक सरकारी भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है, जिससे प्रार्थी को आने–जाने नही देते है, प्रार्थना–पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट–अ में दर्शाये अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने में किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। काम में आने वाली रास्ते की भूमि का डी.एल.सी. रेट के अनुसार प्रतिफल राजकोष में जमा कराने के लिए तैयार है। प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने के लिए 20 फुट चौडे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। चार–पांच दिन पूर्व दिनांक–10–02–2023 को हल्का पटवारी व तहसीलदार साहब से रास्ते के बारे में निवेदन किया तो प्रार्थी से कहा गया कि हमारा काम नया रास्ता निकालने का नही है, पुराना रास्ता हो तो बहाल करा सकते है, तुम्हे रास्ता निकलवाना है, तो अदालत में जाओ। पूर्व में कही पर भी प्रार्थी के खेत पर आने–जाने हेतु रिकॉर्ड पर रास्ता विध्यमान नहीं है। इस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिकारियो से रास्ते बाबत कहने पर रास्ते के बाबत राजस्व अधिकारियो द्वारा मना करने का ही प्रार्थना–पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनन अपने खेत पर आने–जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का इन्द्राजात करवावे। प्रार्थी रास्ते के काम आने वाली कृषि भूमि का समुचित मूल्य राजकोष में जमा कराने को तैयार व तत्पर है, जितनी भूमि रास्ते के रूप में काम आएगी, उसका मूल्य प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से भुगतान कर दिया जाएगा।अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी पर प्रार्थी के हिस्से तक पहुंचने के लिए व कृषि को लाने ले जाने के लिए 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2025 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया कि "प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 1247 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका

विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हुआ है तथा बिना विभाजन के धारा 251 क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नहीं।"

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी अपीलांट अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर–1245 व 1247 कुल दो किता की कृषि भूमि जिसका वह संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार है, को बहामी विभाजन से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के हिस्से खसरा नम्बर–1247 की कृषि भूमि आ रही है, जिस पर कही से भी कोई आने–जाने का रास्ता विध्यमान नही है। आने–जाने के रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुऐ कि सहखातेदार पक्षकार नहीं है तथा बिना विभाजन के रास्ता नही दिया जा सकता और अपना निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिवायक चक कृषि भूमि पर अन्य लोगो द्वारा जबरन कब्जा कर लेने से प्रार्थी अपीलाण्ट को आने–जाने में परेशानी होती है, यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने रखे तथा तहसील से रिपोर्ट मंगवाये जाने का भी निवेदन किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहसील की रिपोर्ट मंगवाये मात्र यह कहते हुऐ कि विभाजन के बिना रास्ता नही दिया जा सकता, प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया । एक कृषक के लिए आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होती है, उसके लिए धारा–251 (क) में रास्ता दिये जाने का प्रावधान बने हुऐ है तथा एक समरी ट्रायल है, रास्ता पाने का एक कृषक को विधिक अधिकार है। अतः अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

6. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा स्वयं के खाते की वाके ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी की खसरा संख्या 1247 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 1242, 1243 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी की प्रश्नगत खसरा संख्या 1242, 1243 की भूमि खाता संख्या 1 में किस्म बंजड़ दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रश्नगत खसरा संख्या 1242, 1243 की भूमि सरकारी सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई है जो दिनांक 13.05.2023 को तैयार की जाकर कार्यालय तहसील नैनवां के पत्रांक 8/एल.आर./2023 दिनांक 15.05.2023 से अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.07.2023 में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.07.2023 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 13.05.2023 में वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में स्पष्ट अंकन नहीं होना बताकर तहसीलदार नैनवां को नियम 68 से 70 की पालना करते हुए पुनः रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु आदेशित किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 27.07.2023 के पश्चात की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.07.2023 की पालना में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मत रहा है कि विवादित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 13.05.2023 में वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में स्पष्ट अंकन नहीं है तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब किए जाने का आदेश पारित किया गया है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक 233 दिनांक 28.07.2023 से नवीन रिपोर्ट तलब किए जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को पत्र प्रेषित किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु का निर्धारण किए जाने हेतु पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पंहुचना कानूनन उचित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ते की रिपोर्ट वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार कराई जाकर तथा उक्त रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पालना करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार करवावें तथा उक्त रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 27.11.2025 को स्वंय उपस्थित रहें ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/x/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा